FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0241 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2025 16:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/09/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:42 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2025 16:37:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KASBA CHAUHTAN,JILA BADMER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHARAMALRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAGURAM URF BHAGARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SAMELO KA TALA,, GRAM PANCHYAT NAVATALA JAITMAL, CHAUHTAN, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SAMELO KA TALA,, GRAM PANCHYAT NAVATALA JAITMAL, CHAUHTAN, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KUMAR MEENA		पिता:PAPPURAM MEENA	1. GRAM MEENA PATTI BARKHERA,MAHUWA,MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, A.C.B. Barmer विषय- PM किसान सम्मान निधि को रिलीज करने के लिए पटवारी दिनेश मीना हल्का नवातला जैतमाल द्वारा 5000 रू. रिश्वत मांगने बाबत्। मान्यवरजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मैं भारमलराम/भगूराम जाति मेघवाल निवासी समेलों का तला ग्राम पंचायत नवातला जैतमाल की अर्ज इस प्रकार हैं कि मेरे पिताजी श्री भगूराम की PM किसान सम्मान निधि वर्ष 2022 से आधार व खेत की नकल में नाम अलग-अलग होने के कारण रूकी हुई हैं। जिसका हल्का पटवारी नवातला जैतमाल श्री दिनेश मीना से सम्पर्क करने पर 5000 रू. देने पर किस्त चालू करने का बोल रहा हैं। जो मैं देने तैयार नहीं हूं। इसलिए श्रीमान से निवेदन हैं कि उक्त उक्त पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने कष्ट करें। पटवारी श्री दिनेश मीना से न तो कोई मेरा लेन-देन हैं, न ही को रंजिश हैं। दिनांक 27/8/2025 -एस.डी.- गवाह श्री अमराराम/17.09.2025 भवदीय -एस.डी.- भारमलराम समेलों का तला, नवातला जैत.

-एस.डी.- गवाह श्री देवीलाल/17.09.2025 -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनाँक 21.08.2025 वक्त 0200 पी.एम. पर प्रार्थी श्री भारमलराम पुत्र श्री भगूराम उर्फ भगाराम, जाति मेगवाल, उम्र 28 वर्ष, पैशा अध्ययन एंव खेती-बाड़ी, निवासी ग्राम समेलों का तला, ग्राम पंचायत नवातला जैतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि मेरे पिता का आधार कार्ड एंव अन्य राजकीय दस्तावेजों में नाम भगूराम दर्ज हैं, जबकि मेरे पिता के ग्राम सरहद भीलों का तला, पटवार हल्का नवातला जैतमाल में आई हुई शामलाती पैतृक कृषि भूमि में नाम भगाराम दर्ज हैं, सरकारी दस्तावेजों एंव भूमि की जमाबन्दी के नाम असमानता होने से हमारे वर्ष 2022 से पी.एम. सम्मान निधि की राशि अटकी हुई हैं, राजस्व रेकर्ड नाम सही कराने हेतु हल्का पटवारी नवातला जैतमाल श्री दिनेश मीना से सम्पर्क करने पर 5000 रुपये देने पर नाम सही कर पी.एम. सम्मान निधि की किश्तें चालू करने का बोल रहा हैं, जबकि मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास चौहटन व बाड़मेर तक जाने का किराया भी नहीं हैं। यह बात मैंने पटवारी को बोली तो उसने कहा कि मैं बिना पैसे किसी भी सूरत में आपका काम नहीं करूंगा, जिस पर मैंने एसीबी राजस्थान के हैल्प लाईन नं. 1064 पर कॉल कर पटवारी की शिकायत की तो वहां से आपके नम्बर मिले एंव सम्पर्क करने का कहने पर मैंने आपको कॉल किया हैं। मैं पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री भारमलराम को ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु कहा, जिस पर परिवादी श्री भारमलराम ने कहा कि मैं अभी मेरे गांव हूँ एवं मेरे पास किराया देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं बाड़मेर आने मे असमर्थ हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री भारमलराम को एसीबी कार्यालय से श्री मनोहरराम कानि. को उनके पास भेजने, जिनके द्वारा आपके गांव पंहुच सम्पर्क करने पर मिलकर लिखित रिपोर्ट पेश करने एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में आरोपित पटवारी से वार्ता कर रिकॉर्डिंग करवाने आदि बाबत् मुनासिब समझाईश कर मनोहरराम कानि. के मोबाईल नंबरो से सूचित किया गया। दिनांक 26.08.2025 को परिवादी श्री भारमलराम ने पूर्व अंकित मोबाईल नंबर से कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया गत दो-तीन दिन से मेरा मोबाईल खराब हो गया था, इसलिए सम्पर्क नहीं कर सका, आज एंव कल मैं घर पर ही हूं, आप मनोहरराम कानि. को मेरे पास भेजो, मैंने निर्देशानुसार पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली हैं। इस पर श्री मनोहरराम कानि. को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास बुलाकर परिवादी श्री भारमलराम के मोबाईल नम्बर से अवगत करवाकर ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर परिवादी से सम्पर्क कर शिकायत प्रार्थना पत्र लिफाफे मे प्राप्त कर परिवादी व संदिग्ध के मध्य रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ब्यूरो चौकी मे उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया एवं परिवादी से सम्पर्क कर उसके कहे अनुसार ब्यूरो चौकी से रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने एवं समय-समय पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने हेतु निर्देशित किया। किन्तु उस दिन परिवादी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से श्री मनोहरराम कानि. को उसके पास नहीं भेजा गया। दिनांक 27.08.2025 को कार्यालय मालखाना से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर इन्हे ऑपरेट करने बाबत् श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 से समझाईश की जाकर परिवादी श्री भारमलराम के पास उसके गांव समेलों का तला पंहुच उनसे आरोपित पटवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर अवगत कराने के पश्चात हस्ब कायदा मांग

सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना जरिये सरकारी मोटर साईकिल के ग्राम समेलों का तला भेजा गया, जिसने उसी दिन परिवादी के पास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर जरिये वॉट्सऐप परिवादी श्री भारमलराम से प्राप्त एक हस्त-लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की, कि मेरे पिता श्री भगूराम की पी.एम. किसान सम्मान निधि वर्ष 2022 से आधार और खेत की नकल नाम अलग-अलग होने के कारण रूकी हुई हैं, जिसका हल्का पटवारी नवातला जेतमाल श्री दिनेश मीना से सम्पर्क करने पर 5000 रू. देने पर किश्त चालू करने का बोल रहा हैं, जो यह देने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए निवेदन हैं कि उक्त पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कृप्त करें। पटवारी श्री दिनेश मीना न तो कोई मेरा लेन-देन हैं ना ही कोई रंजिश हैं। वगैरहा रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्री मनोहरराम कानि. के मोबाईल पर ही जरिये वॉट्सऐप कॉल परिवादी श्री भारमलराम से वार्ता की गई तो उसने बताया कि राजस्व रेकर्ड में मेरे पिता का नाम भगाराम दर्ज हैं, जबकि आधार कार्ड एंव अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम भगूराम दर्ज हैं, इस असमानता की वजह से पी.एम. किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही हैं, अतः राजस्व रेकर्ड में नाम सही करने की ऐवज पटवारी 5000 रू. रिश्वत की मांग कर रहा हैं। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री मनोहरराम कानि. को अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत् निर्देशित किया जाने पर परिवादी ने बताया कि पटवारी आगामी 31.08.2025 को गिरदावरी करने हेतु गांव में आयेगा, तब मैं उससे मिलकर वार्ता करूंगा, जिस पर परिवादी को दिनांक 31.08.2025 को गांव में ही उपस्थित रहने एंव मनोहरराम कानि. को परिवादी की रिपोर्ट के साथ अविलम्ब चौकी हाजा पर पंहुचने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 28.08.2025 को परिवादी श्री भारमलराम के पास गया हुआ श्री मनोहरराम कानि. ब्यूरो कार्यलय पर उपस्थित आया एंव बमुकाम ग्राम समेलों का तला में परिवादी श्री भारमलराम से प्राप्त हस्तलिखित रिपोर्ट पेश कर पूर्व हालात दोहराए, जिस पर रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखी गई, तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सीधे श्री मुराब खां हैड कानि. के माध्यम से जमा मालखाना करवाये गये। दिनांक 31.08.2025 को परिवादी श्री भारमलराम से पूर्व में हुई वार्तानुसार उस दिन आरोपित पटवारी श्री दिनेशकुमार के गिरदावरी हेतु हल्का क्षेत्र में आने की संभावना के मध्यनजर श्री मनोहरलाल कानि. नं. 39 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड Master 8 GB के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना जरिये सरकारी मोटर साईकिल ग्राम समेलों का तला भेजा गया, जिसने उसी दोपहर पश्चात जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी श्री भारमलराम को ग्राम भीलों का तला में स्थित एक दुकान पर आरोपित श्री दिनेशकुमार पटवारी के पास भेजकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर परिवादी के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग करवा ली हैं, परिवादी के अनुसार वार्ता के दौरान आरोपी श्री दिनेशकुमार पटवारी ने 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर 2000 रू. आज परिवादी से प्राप्त किये एंव शेष राशि 2000 रू. कुछ दिनों बाद लाखाराम नामक व्यक्ति को देने या फोन-पे करने का कहा हैं। परिवादी रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु कुछ समय लेना चाहता हैं एंव इस हेतु अपने गावं/घर पर ही रूकना चाहता हैं, तथा सत्यापन संबधित पूर्ण हालात चौकी में आकर निवेदन करूंगा। जिस पर श्री मनोहर कानि. को प्रकरण में गोपनीयता की पूर्ण हिदायत देकर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे छोड़ने एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्थिति में हमराह लेकर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर उसी रात्रि में श्री मनोहराम कानि. नं. 39 बाद सत्यापन ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ मुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आज प्रातः परिवादी श्री भारमलराम से हुई वार्ता अनुसार माफिक निर्देश के जरिये सरकारी मोटर साईकिल ब्यूरो चौकी बाड़मेर से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार समेले का तला पहुँचा एवं पता करने पर परिवादी अपने परिवार के साथ अपने खेत से जाना ज्ञात हुआ, जिस पर कुछ देर रुकने पर परिवादी श्री भारमराम उपस्थित आया एवं परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री दिनेशकुमार आज ग्राम भीलों की ढाणी मे गिरदावरी कर रहा है, तथा यहां से करीबन दो किलोमीटर ग्राम भीलों का तला में स्थित श्री लाखाराम भील के घर वो दोपहर का भोजन करने आयेगा। क्यों कि तीन-चार दिन पहले भी पटवारी जब इस क्षेत्र में आया था, तब भी लाखाराम भील के घर गया था, इस बात की जानकारी होने पर मैंने कल ही लाखाराम भील से मेरे पिताजी के नाम को पटवारी से कहकर राजस्व रेकर्ड में सही कराने हेतु बात की तो लाखाराम ने मुझे कहा कि अबकी बार पटवारी इधर आयेगा, तो मैं आपका कराने का पूरा प्रयास करूंगा, तब मैंने लाखाराम को बोला था कि पटवारी इस काम की ऐवज में मेरे से 5000 रू. की मांग कर रहा हैं, जबकि मेरी परिस्थिति आपको पता ही हैं कि मैं इतनी राशि की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। तब लाखाराम ने कहा कि इतने पैसे देने की कोई जरूरत नहीं हैं, मैं आपका काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा, तब मैंने लाखाराम को बोल दिया हैं कि यदि पटवारी बिना पैसे काम नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ एसीबी में शिकायत देकर कार्यवाही करवाउंगा, और साथ ही लाखाराम को पटवारी से इस बारे में कोई बात नहीं करने का कहा तो लाखाराम ने भी कहा कि पटवारी यहां आता हैं तो उसकी हाजरी उठाते हैं, मैं कहूंगा तो वो पैसे नहीं लेगा, और यदि मेरे कहने के बावजूद वो आपसे पैसे लेता हैं या मांगता हैं, तो ए.सी.बी. से

उसके खिलाफ कार्यवाही करवाना, मैं इस काम में आपके साथ हूं। आप मेरे पास आ जाना, इसी के क्रम अभी कुछ देर पहले लाखाराम ने मुझे समाचार भेजा हैं कि पटवारी आज भीलों का तला में गिरदावरी कर रहा हैं, दोपहर 400-500 बजे मेरे घर के पास भीलों का तला में स्थित एक दुकान पर चाय के समय आयेगा, आप वहां आ जाना, उक्त भीलों का तला, पटवार हल्का नवातला जैतमाल में ही स्थित हैं। परिवादी श्री भारमलराम ने यह भी बताया कि लाखाराम अपना ही आदमी हैं, उसके पास बैठे पटवारी से बात होगी तो कोई समस्या नहीं हैं। जिस पर मैं वहां से परिवादी श्री भारमलराम को साथ लेकर ग्राम भीलों का तला पंहुचा, एंव परिवादी ने अपने स्तर पर लाखाराम से सम्पर्क कर बताया कि पटवारी इस समय लाखाराम द्वारा बताई गई दुकान पर ही मौजूद हैं, एंव वहीं मेरे से बात कर लेगा। इस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपित श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। मैं वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त रहा। करीबन आधा-पौन घण्टा बाद परिवादी वापस मेरे पास नियत स्थान पर आया, जिनसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा एंव पूछने पर परिवादी ने बताया कि लाखाराम द्वारा पूर्व में बतायेनुसार पटवारी भीलों का तला गांव में उसी दुकान पर उपस्थित मिला, जिससे मैंने मेरे पिता का नाम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी भगाराम के बजाय भगूराम करने का निवेदन किया तो पटवारी ने वार्ता के दौरान पहले मेरे से 5000 रू. की मांग की, फिर मेरे एंव लाखाराम द्वारा कुछ कम करने का आग्रह करने पर 4000 रू. की मांग की, एंव आज अभी 2000 रू. मेरे से ले लिये हैं, शेष 2000 रू. लाखाराम को देने या लाखाराम को फोन-पे करने का कहा तो मैं चौंक गया, लेकिन लाखाराम ने मुझे ईशारों-ईशारों में ही समझाईश कर पटवारी के कहेनुसार लाखाराम ने अपने फोन-पे नंबर बोल-बोल कर मुझे मेरे मोबाईल में नोट कराये, एंव लाखाराम ने कहा कि ये सरकारी कर्मचारी अपने फोन-पे में पैसे थोड़े ही कराते हैं। इत्यादि वार्ता मैंने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग कर ली हैं। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि लाखाराम हमारा ही आदमी हैं एंव मेरे कहने पर ही उसने मेरी मदद करने हेतु पटवारी से बात की हैं, उसे मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत कर पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही कराने के बारे में पूरी जानकारी हैं, इसलिए मैं उसके फोन-पे नंबरों पर पटवारी द्वारा तय बकाया राशि 2000 रू. फोन-पे नहीं करूंगा, एंव सीधे ही पटवारी को देने की कोशिश करूंगा, तथा अभी मुझे पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रू. की व्यवस्था करने में भी समय लगेगा, राशि की व्यवस्था होते ही मैं सूचित कर दूंगा। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर इसमें रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप सुना गया तो आरोपी श्री दिनेशकुमार पटवारी द्वारा परिवादी से राजस्व रेकर्ड में उसके पिता का नाम सही/दुरूस्त कर अटकी हुई पी.एम. सम्मान निधि पुनः शुरू कराने की ऐवज में परिवाद से 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 2000 रू. प्राप्त करना एंव शेष राशि 2000 रू. लाखाराम को फोन-पे करने का कहना, इत्यादि तथ्यों की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। उक्त प्रगति के संबध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात जरिये मोबाईल निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् निर्देश प्राप्त किये जाकर आरोपित पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया दिनांक 04.09.2025 को परिवादी श्री भारमलराम से जरिये मोबाईल वार्ता कर रिश्वती राशि की व्यवस्था बाबत् मालुमात किया तो परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वती राशि की व्यवस्था में लगा हुआ हूं, पांच-सात दिन में मेरे पिताजी के पैन्शन आने वाली हैं, तब आपको सूचित करूंगा, एंव साथ ही परिवादी ने यह बताया कि लाखाराम ने स्वयं या फोन-पे पर पैसे लेने से मना कर दिया हैं, जिस पर मैंने पटवारी से बात की तो पटवारी ने कहा कि आप मुझे सीधे ही 2000 रू. दे देना, लाखाराम को देने या फोन-पे करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अतः मेरे से पटवारी सीधे ही स्वयं तय सुदा शेष 2000 रू. प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर अवगत कराने, प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने एंव पटवारी का कोई कॉल या समाचार मिलने पर अविलम्ब अवगत कराने बाबत् मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 10.09.2025 को परिवादी श्री भारमलराम ने जरिये मोबाईल कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि दो-तीन पूर्व पटवारी श्री दिनेशकुमार मीना हमारे गांव में गिरदावरी करने आया तब मुझे अचानक रास्ते चलते मिला व अपने बकाया 2000 रू. मांगे व कहा कि अभी तुमने पैसे नहीं पंहुचाए हैं, तेरे काम कराना हैं या नहीं, तब मैंने पटवारी को परसों दिनांक 12.09.2025 को पैसों की व्यवस्था कर देने का कहा तो पटवारी ने परसों चौहटन अपने रूम पर आकर पैसे देने का कहा हैं, वैसे मेरे कल दिनांक 11.09.2025 तक 2000 रू. की व्यवस्था हो जायेगी, इसलिए आप दिनांक 12.09.2025 को प्रातः चौहटन आ जाना, मैं भी 2000 रू. की व्यवस्था कर चौहटन आ जाऊंगा, पटवारी भी वहीं चौहटन में अपने किराये के मकान पर ही मिलेगा एंव वहीं मेरे से पैसे लेगा। जिस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही बाबत् मुनासिब हिदायत की गई, तथा आरोपित पटवारी के विरूद्ध दिनांक 12.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। दिनांक 11.09.2025 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय के श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143 के माध्यम से जरिये तेहरीर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भू-जल विभाग बाड़मेर से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री अमराराम ड्रिलर व श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को मामुर करवाकर तलबी पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने बाबत् पाबन्द करवाया गया। किन्तु इस दौरान उसी दिन परिवादी ने कॉल कर बताया कि परिवादी ने बताया कि आज मेरी पटवारी से बात हुई थी, तब उसने बताया कि कल मैं गाव जा रहा हूं, रविवार के बाद वापस आकर आपको बताउंगा, तब

आप चौहटन या गांव जहां कहीं सुविधानुसार हो, मिलने आ जाना। जिस पर परिवादी को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता की हिदायत दी जाकर आईन्दा आरोपित पटवारी द्वारा रिश्वती राशि हेतु सम्पर्क करने पर अविलम्ब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने बाबत् समझाईश की गई। दिनांक 16.09.2025 को परिवादी श्री भारमलराम से जरिये मोबाईल वार्ता हुई, जिसने बताया कि आज मेरी पटवारी से बात हुई थी, जिसने कल दिनांक 17.09.2025 को तय सुदा बकाया राशि 2000 रू. लेकर अपने कस्बा चौहटन में स्थित किराये के मकान पर बुलाया हैं। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 17.09.2025 को प्रातः आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000 रू. लेकर चौहटन में वीरात्रा धाम के पास उपस्थित मिलने बाबत् हिदायत की गई। साथ ही श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता कल प्रातः 0900 ए.एम. तक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् निर्देशित करवाया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण तैयारी करने की हिदायत की गई। दिनांक 17.09.2025 को पूर्व पाबन्द सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ चौकी हाजा पर उपस्थित आये। दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होंने अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री अमराराम पुत्र श्री गोपाराम जाति मेघवाल उम्र 42 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी मथानिया, तहसील तिंवरी पुलिस थाना मथानिया जिला जोधपुर हाल ड्रिलर(भेदक) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भू-जल विभाग बाड़मेर एवं श्री देवीलाल पुत्र श्री प्रेमाराम जाति भील उम्र 30 वर्ष पैशा नौकरी निवासी अजासर तहसील पोकरण पुलिस थाना नाचना जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भू-जल विभाग बाड़मेर के रूप में दिया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई, साथ ही ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से एक प्राईवेट वाहन की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात परिवादी को मय रिश्वती राशि के वीरात्रा धाम के पास मिलने हेतु हिदायत कर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री मोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री अनूपसिंह हैड कानि. नं. 44, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री शोभसिंह कानि. नं. 35, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अमराराम ड्रिलर व श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, टैम्प बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागजी पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री महदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर कस्बा चौहटन से आगे विरात्रा धाम के पास पंहुचा, जहां कुछ देर बाद पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री भारमलराम अपने गांव से रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पास विरात्रा धाम पर उपस्थित आया, व बताया कि आरोपित पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अमराराम ड्रिलर व श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक का हाजिर परिवादी श्री भारमलराम से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 27.08.2025 को आरोपित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के सत्यापन संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकॉर्डर ऑन व रिवर्स-फॉरवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू मन् नरेन्द्रकुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री भारमलराम से आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना, पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जैतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 02 नोट, 200-200 रू. के 02 नोट व 100-100 रू. के 06 नोट, कुल राशि 2000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 MV 726226 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 PS 274355 3 एक नोट दो सौ रुपये का नम्बरी 8 AP 922729 4 एक नोट दो सौ रुपये का नम्बरी 5 CL 869783 5 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 7 SU 869782 6 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 8 QQ 792077 7 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 7 KE 896441 8 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 1 AL 544369 9 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 9 AS 753773 10 एक नोट सौ रुपये का नम्बरी 3 FN 443906 चौकी हाजा से वक्त रवानागी कार्यालय हाजा के मालखाना से हमराह जाब्ता के श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया मंगवाई जाकर श्री सहदेवसिंह कानि. से ही उक्त 2000 रू. के सभी नोटों को प्राईवट वाहन के पिछली सींट पर बिछाये गये एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री भारमलराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिये गये। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी के पहनी हुई पैण्ट के दांहिन साईड की जेब में

श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर उसे स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के समक्ष हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी एंव जाब्ता को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार एंव बचे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी, गवाहान एंव मन् एएसपी मय हमराहियान के साथ राजकीय वाहन के अलावा ब्यूरो दल के साथ मौजूद एक अन्य प्राईवेट वाहन में मौजूद रहने एंव आरोपित द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद उसके विरूद्ध रिश्वती राशि बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही तक ट्रेप दल से पृथक रहने बाबत् निर्देशित किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् एएसपी मय हमराहियान रवाना होकर कस्बा चौहटन में आदर्श स्कूल के पास स्थित आरोपित पटवारी के किराये के आवासीय मकान के पास पंहुचा, आस-पास की लोकेशन का गोपनीय रूप से नजरी अवलोकन कर हमराह जाब्ता, परिवादी एंव गवाहान को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात हमराह जाब्ता के श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा नये मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी श्री भारमलराम को सुपुर्द करवाकर बाद मुनासिब हिदायत के रिश्वती राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी से सम्पर्क करने/मिलने हेतु रवाना आरोपित के किराये के मकान की तरफ किया गया। तथा परिवादी के पीछे-पीछे श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को एडवांस पार्टी के तौर पर परिवादी का ईशारा प्राप्त करने एंव लेनदेन आदि का ध्यान रखने बाबत् बाद मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री भारमलराम ने वक्त 0442 पी.एम. पर आरोपित पटवारी के किराये के आवासीय मकान के बाहर दरवाजे पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह जाब्ता के श्री मनोहर कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री मनोहर कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन से रवाना होकर परिवादी के पास पंहुच उसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया, कि परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी नवातला जैतमाल ने अपने किराये के कमरे में चारपाई पर बेठे-बेठे ही मेरे से मांगकर पूर्व में तय सुदा रिश्वती राशि 2000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखे हैं, तथा अभी भी पटवारी अपने कमरे में दो अन्य व्यक्तियों के साथ चारपाई पर ही बैठा हैं। जिस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य जाब्ता को हमराह लेकर अविलम्ब आरोपित पटवारी के किराये के कमरे में पंहुचा, जहां दो लोहे की चारपाई पर तीन व्यक्ति बैठे मिले, जिसमें से दांहिने साईड की चारपाई पर पैण्ट-टी शर्ट पहने बैठे व्यक्ति की तरफ अपने हाथ से ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही पटवारी दिनेशकुमार मीना हैं, जिसने अभी कुछ देर पहले मेरे से 2000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखे हैं। जिस पर पटवारी के पास बैठे दो अन्य व्यक्ति उठकर कमरे से बाहर जाने लगे तो इन्हें कमरे के बाहर ही ब्यूरो जाब्ता के साथ रूकने की हिदायत कर हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर चारपाई पर बैठे आरोपित पटवारी को मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिनेशकुमार पुत्र श्री पप्पूराम, जाति मीना, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मीना पट्टी बरखेड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा, हाल पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, मोबाईल नंबर के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी को परिवादी श्री भारमलराम को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने परिवादी को पहचानने से इन्कार करते हुए कहा कि इसे मैं नहीं पहचानता हूं, अभी कुछ देर पहले मुझे फोन करके यह मेरे पास आया था, जिससे मैंने कोई राशि नहीं ली हैं, मेरी पैण्ट में इसके आने के पहले से ही कुछ रूपये रखे हुए थे, वो ही मेरे पैण्ट की जेब में हैं। जिस पर हाजिर परिवादी ने आरोपित पटवारी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहा हैं, अभी इन्होनें मेरे से मांगकर 2000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में रखे थे। इससे पहले जब मैं इसके पास जमाबन्दी में मेरे पिता का नाम सही करवाने के लिए आया था, तब उसने मेरे 4000 रू. मांगकर 2000 रू. उस समय ले लिये थे, तथा शेष 2000 रू. देने पर ही मेरे पिता का नाम सही करने की बात कही थी, जिस पर मैं आज इसके पास आया, तो उसने शेष 2000 रू. प्राप्त कर कहा कि आपके खेत में मतीरे हैं तो मैंने कहा हां हैं, तब इसने कहा कि तो 16-17 मतीरे मेरे रूम पर पंहुचा देना, तभी तेरा काम करूंगा, इस पर मैंने इसे हां कहकर कमरे से बाहर आया व एसीबी के स्टाफ मनोहर जी व बांकाराम जी को ईशारा किया, इस बीच आप लोग भी यहां आ गये, मैंने आज पटवारी से हुई पूरी बातचीत एसीबी के टेप में रिकॉर्डिंग की हैं। जिस पर परिवादी की निशांदेही के अनुसार हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री अमराराम ड्रिलर (भेदक) से आरोपित पटवारी के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड के जेब की तलाशी लिरवाई गई तो जेब में पांच सौ, दौ सौ, एक सौ के कुछ नोट रखे हुए पाये गये, जो दो अलग-अलग हिस्सों/भाग में थे, जिसकी गिनती गवाह अमराराम से ही करवाई गई तो एक भाग में राशि 2000 रू. व दूसरे भाग में राशि 420 रू. होने पाये गये, जिस पर दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो 2000 रू.की गिनती वाले सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री अमराराम के पास सुरक्षित रखवाई गई, तथा अन्य 420 रू. पटवारी द्वारा अपने जेब खर्च की राशि होना बताया गया, जिसे दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री देवीलाल के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपित के मकान में रखे पानी के कैम्पर में से एक स्टील के जग में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपित के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार वक्त बाका आरोपित पटवारी के पहनी हुई पैण्ट जिसके दांहिने साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद हुई हैं, का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपित पटवारी के पहनने हेतु उसके कमरे में रखी एक अन्य पैण्ट की व्यवस्था कर पहनने हेतु पटवारी को दी जाकर उसके पहनी हुई पैण्ट को उतरवाया जाकर चैक किया गया तो यह काले रंग की हैं तथा इसके दांहिने साईड की जेब पर "QUECHUA" अंकित होकर जेब पर चैन/जिप लगी हुई हैं। इसके दांहिने साईड की जेब का धोवन लेने हेतु एक नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया, जिस पर आरोपित के पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर इसे उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर दो-तीन बार निचोड़ कर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गहरा गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को कुछ देर तक बाहर हवा/धूप में सुखाकर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर इसे एक सफेद कपड़े की थेली में सील्ड मोहर कर इस पर पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी. अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, जिसे पृथक से हस्ब कायदा सील्ड मोहर किया जायेगा। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित अर्थात राजस्व रेकर्ड में इसके पिता का नाम दुरूस्त कराने के दस्तावेजात के संबध में आरोपित पटवारी से पूछा गया तो उसने परिवादी द्वारा उसे कोई दस्तावेज नहीं देना बताया। जिस पर उसे पटवार मण्डल नवातला जैतमाल के राजस्व ग्राम

भीलों का तला का कोई भी हाजिर रेकर्ड पेश करने का कहने पर आरोपित द्वारा अपने कमरे में रखा "चौसाला खसरा गिरदावरी रजिस्टर ग्राम भीलों का तला संवत 2080 से 2083" तक का पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो इस रजिस्टर के पृष्ठ सं. 51-52 पर खसरा सं. 192/96, जमाबन्दी सं. 20 व खसरा सं. 219/192, जमाबन्दी सं. 20 पर अर्थात दो स्थानों पर शामलाती खातेदारों में परिवादी श्री भारमलराम के पिता श्री भगाराम पुत्र श्री कालूराम 1/5 हिस्सा लिखा हुआ पाया गया। हाजिर परिवादी ने बताया कि अन्य सरकारी रेकर्ड जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि में मेरे पिता का नाम भगूराम पुत्र श्री कालूराम लिखा हुआ हैं, उक्त असमानता की वजह से हमारे पी. एम. सम्मान निधि की राशि वर्ष 2022 से बन्द हैं, जिसके बारे में मैंने तहसील कार्यालय चौहटन में पता करवाया तो जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड एंव अन्य सरकारी रेकर्ड में एक ही नाम होना चाहिए, असमानता पर सम्मान निधि नहीं मिलेगी, राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्ती का कार्य हल्का पटवारी द्वारा किया जाने का तहसील से मुझे कहा गया था, जिस पर मैं राजस्व रेकर्ड में दर्ज मेरे पिता का नाम भगाराम के बजाय अन्य सरकारी दस्तावेजों अनुसार भगूराम करवाने हेतु कुछ दिन पहले पटवारी हल्का श्री दिनेशकुमार मीना से मिला था, जिस पर उसने मेरा उक्त नाम दुरूस्तीकरण का कार्य करने हेतु मेरे से रिश्वती की मांग कर प्राप्त की थी, जो हालात पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। जिस पर दस्तियाब सुदा आरोपित पटवारी से पुनः इस बारे में पूछा गया तो नजरें झुकाते हुए बोला कि मैं हल्के में गिरदावरी करने गया तब यह भारमलराम मुझे कुछ दिन पहले वहीं मिला था तथा अपने पिता का नाम दुरूस्त करने का कहा था, साहब गलती हो गई हैं, नई-नई नौकरी हैं मुझे माफ करो। जिस पर "चौसाला खसरा गिरदावरी रजिस्टर ग्राम भीलों का तला संवत 2080 से 2083" तक के पृष्ठ सं. 51 की फोटो प्रति करवाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल मिशल किया गया। तत्पश्चात आरोपित के किराये के आवासीय मकान में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना चौहटन में पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर उक्त मकान को तालाबन्द करवाकर दस्तियाब सुदा आरोपित श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी तथा वक्त लेन-देन इसके पास कमरे पर मौजूद दोनों व्यक्तियों एंव मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि आदि को हमराह लेकर मन् एएसपी मय हमराहियान आरोपित के किराये के मकान से निकलकर पुलिस थाना चौहटन पंहुच थाने में हाजिर श्री राजूराम बामनिया निरीक्षक पुलिस एस.एच.ओ. से थाने के स्वागत कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् मौखिक अनुमति प्राप्त कर थाने के स्वागत कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित पटवारी व परिवादी से आवश्यक पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अमराराम जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 02 नोट, 200-200 रू. 02 नोट व 100-100 रू. के 06 नोट, कुल राशि 2000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। जिस पर उक्त राशि को एक सफेद कपडे की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात वक्त लेन-देन पटवारी के कमरे पर मौजूद दोनों व्यक्तियों से परिचय पूछा गया तो इन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री लूणाराम पुत्र श्री चेतनराम, जाति मेगवाल, उम्र 40 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मिठडाउ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, हाल द्वितीय श्रेणी अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हूरों का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, मोबाईल नं. व श्री लाखाराम पुत्र श्री हेमनराम, जाति भील, उम्र 42 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी ग्राम नवातला जैतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। आज आरोपित पटवारी के कमरे पर आने के संबध में श्री लूणाराम अध्यापक से पूछा गया तो बताया कि मैं आज गांव से मेरी मोटर साईकिल की सर्विसिंग कराने एंव स्कूल के कक्षा दसवीं-बारहवीं बोर्ड के आवेदन पत्र सीनीयर सैकण्डरी स्कूल चौहटन में जमा कराने हेतु आया था, उक्त कार्य सम्पन्न कर चौहटन में ही भगवती मोटर्स पर मेरी मोटर साईकिल सर्विसिंग के लिए दी, कि इतने में वहीं लाखाराम मिल गया, जिसका एक पुत्र मेरी स्कूल में पढता हैं, इसलिए इसको मैं पूर्व से जानता हूं, इसने मुझे कहा कि आपके मोटर साईकिल की सर्विसिंग में टाईम लगेगा, तब तक मेरे हमारे पटवारी से काम हैं, वहां चलकर आते हैं, तब चूंकि मैं भी फ्री था तो लाखाराम के कहने पर इसके साथ पटवारी के कमरे पर आपके आने से करीबन आधा घण्टा पहले ही आया था, बाकी मेरा पटवारी से कोई काम नहीं था, लाखाराम ने अपने काम के बारे में पटवारी से बात की, कि इस दौरान परिवादी भारमलराम भी पटवारी के पास आया व जमाबन्दी में अपने पिता का नाम सही करने के बारे में कुछ देर तक पटवारी से बातचीत की एंव इस दौरान पटवारी दिनेशकुमार मीना ने भारमलराम से कुछ पैसे लिये व अपने पहनी हुई पैण्ट की दांहिनी जेब में रख दिये, इसके बाद भारमलराम पटवारी के रूम से चला गया, तभी आप लोग आ गये, तो मैं व लाखाराम पटवारी के कमरे से उठकर बाहर आ गये एंव आपके निर्देशानुसार रूम के बाहर रूके रहे एंव बाद में आपके साथ ही यहां थाने आये हैं। श्री लूणाराम अध्यापक का प्रत्युत्तर संतोषजनक एंव सही प्रतीत होता हैं, तथा परिवादी व आरोपित पटवारी से इनका कोई संबध नहीं पाया गया, न ही इनके बीच हुए लेन-देन से इनका कोई संबध पाया गया। लिहाजा इन्हें इस फर्द पर बाद हस्ताक्षर फॉरिक करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लाखाराम से पूछने पर उसने श्री लूणाराम अध्यापक द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते

हुए बताया कि दिनेशकुमार मीना हमारे नवातला गांव के पटवारी हैं, मैं सरकारी जमीन पर खेती करता हूं, इसलिए 91 की कार्यवाही व जुर्माने के संबध में पटवारी से जानकारी लेने आया था, बाकी मेरा भारमलराम व पटवारी से कोई सम्बन्ध एंव लेना-देना नहीं हैं। जिस पर उसे दिनांक 31.08.2025 को परिवादी एंव आरोपित पटवारी के बीच हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के समय मौजूद रहने एंव पटवारी द्वारा परिवादी से 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर 2000 रू. प्राप्त करने एंव शेष 2000 रू. पटवारी द्वारा आपको देने हेतु परिवादी से कहा जाने पर आपने आपके फोन-पे नंबर परिवादी को बताते हुए फोन-पे करने का कहा था, एंव यह भी कहा कि पटवारी सरकारी नौकर हैं ये फोन-पे या खाते में पैसे नहीं लेते हैं, इसलिए आप मुझे फोन-पे कर देना, इस पर लाखाराम ने कहा कि परिवादी श्री भारमलराम हमारी पंचायत का ही हैं, जिसे मैं पूर्व मे जानता हूं, दिनांक 31.08.2025 को भारमलराम ने ही मुझे पटवारी के पास जाने व अपने पिता का नाम जमाबन्दी में सही कराने में सहयोग करने का कहा था, चूंकि पटवारी पहले से ही मेरा जानकार था, इसलिए भारमलराम की मदद करने के लिए मैं उसके साथ पटवारी के पास गया था, वहां बातचीत के दौरान पटवारी ने भारमल राम से 4000 रू. की मांग कर 2000 रू. उसी समय ले लिये, एंव शेष 2000 रू. पटवारी ने मुझे देने के लिए भारमलराम से कहा, तो चूंकि पटवारी को परिवादी पर कोई शक नहीं हो, इसलिए मैंने पटवारी के सामने उस समय मना नहीं किया कि मुझे पटवारी के लिए पैसे मत देना, यदि मैं उस समय मना कर देता तो पटवारी को परिवादी की एसीबी कार्यवाही की भनक लग जाती, इसलिए पटवारी को विश्वास में लेने हेतु मैंने उसके सामने परिवादी भारमलराम को उक्त बात बोल दी थी, तथा बाद में भारमलराम को मैंने मना कर दिया कि पैसे मुझे फोन-पे मत करना, आप सीधे ही पटवारी को दे देना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं हैं, मैंने तो भारमलराम के कहने पर इसका सहयोग ही किया था, और पटवारी से इसका काम करने का आग्रह किया था, पटवारी और भारमलराम के बीच रूपये-पैसों के लेन-देन से मेरा कोई मतलब एंव लेना-देना नहीं हैं। बाकी सर मैं तो अनपढ हूं, भारमलराम का सहयोग करने के लिए पटवारी के पास गया था, उस समय बातचीत के दौरान पटवारी को कोई भनक नहीं लगे, इसलिए मैंने उसकी हां में हां मिलाई थी और यदि उस दोरान अनपढ होने एंव कानून की समझ नहीं होने से मैंने कोई ऐसी-वैसी बात बोल दी हो और वो रिकॉर्डिंग हो गई हैं तो आप मुझे माफ करावें। वगैरहा तथ्यों के संबध में हाजिर परिवादी श्री भारमलराम से पूछा गया तो परिवादी ने श्री लाखाराम द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हां, मैंने लाखाराम को पटवारी से मेरा काम कराने का कहा था एंव मेरे सहयोग के लिए लाखाराम उस दिन मेरे साथ पटवारी से मिला था, तथा इसे इस कार्यवाही की जानकारी भी थी, किन्तु आज लाखाराम यहां पटवारी के पास संयोग से ही मिला हैं। श्री लाखाराम के प्रत्युत्तर के संबध में परिवादी श्री भारमलराम द्वारा बताये गये तथ्यों के संदर्भ में प्रथम दृष्टिया लाखाराम के प्रत्युत्तर को संतोषजनक मानते हुए इसे भी इस फर्द पर बाद हस्ताक्षर फॉरिक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त श्री लूणाराम अध्यापक एंव श्री लाखाराम को आईन्दा ए.सी.बी. द्वारा तलबी पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत कर जाने की ईजाजत दी गई। तत्पश्चात वक्त लेन-देन प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त लेन-देन वार्तालाप हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब की जायेगी। आरोपित पटवारी का मूल निवास मीना पट्टी बरखेड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा हैं, जहां अपने घर अपने माता-पिता एंव भाई के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत होना एंव स्वयं की प्रथम नियुक्ति तिथि 18.07.2022 होना बताया, चूंकि आरोपित पटवारी की सरकारी नौकरी लगभग तीन वर्ष की ही हुई हैं, बहुत कम अवधि के सेवाकाल को देखते हुए इसके पास आय से अधिक सम्पति होने की संभावना नगण्य हैं, अतः इसके जिला दौसा में स्थित निवास स्थान की खाना तलाशी लिरवाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खाना तलाशी नहीं लिवाये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न की जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जैतमाल मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात हस्ब कायदा कस्बा चौहटन में स्थित आरोपित के किराये के आवासीय मकान की हस्ब कायदा खाना तलाशी ली जाकर रिश्वती राशि बरामदगी/घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के साथ पदस्थापित होकर नौकरी करने वाले साथी कॉर्मिकगण श्री चिरंजीलाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय चौहटन व श्री मोहनलाल मीना पटवारी, पटवार हल्का आरबी की गफन को रूबरू मौतबिरान सुनाये जाकर आरोपित पटवारी के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी भारमलराम एवं आरोपी श्री दिनेशकुमार पटवारी के मध्य दिनांक 31.08.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री भारमलराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मनोहरराम कानि. 39 के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की

कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Master 8 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री भारमलराम द्वारा की गई। इसी प्रकार परिवादी श्री भारमलराम एवं आरोपी श्री दिनेशकुमार पटवारी के मध्य दिनांक 17.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्ड मुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री भारमलराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Master 8 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एल" अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी भारमलराम द्वारा की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री भारमलराम की उपस्थिति में वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपित के कस्बा चौहटन में स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB मूल ही राजकीय ऑडियो-विडियों रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रिकॉर्डिंग ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से श्री लालाराम कानि. न. 328 द्वारा मन् एएसपी के निर्देशन में हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त कार्यवाही के ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही का एक डब मेमोरी कार्ड Master 8 GB तथा आरोपित के कस्बा चौहटन में स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी कार्यवाही के दो डब मेमोरी कार्ड Master 8 GB तैयार करवाये गये, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क V अंकित किया गया। इस बीच श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई मय जाब्ता के साथ गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री दिनेशकुमार पटवारी का राजकीय चिकित्सालय चौहटन से मेडिकल करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेशकुमार पुत्र श्री पप्पूराम, जाति मीना, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मीना पट्टी बरखेड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा, हाल पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री दिनेशकुमार पटवारी को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके स्टाफ साथी श्री मोहनलाल पटवारी आरबी की गफन को रूबरू दी गई, साथ ही आरोपित का निजी मोबाईल एंव जामा तलाशी में प्राप्त नगद राशि 420 रू. भी आरोपित के कहेनुसार श्री मोहनलाल पटवारी आरबी की गफन को सुपुर्द किये गये। गिरफ्तारी के प्रावधानों से संबधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(TT) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी को आज के रोज माननीय सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पटवारी, पटवार मण्डल नवातला

जैतमाल द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री भारमलराम के पिता के नाम राजस्व ग्राम सरहद भीलों का तला, पटवार हल्का नवातला जेतमाल में स्थित शामलाती खेत खसरा सं. 192/96 व 219/192 में खातेदार (परिवादी के पिता) का नाम भगाराम पुत्र कालूराम दर्ज हैं, जबकि आधार कार्ड एंव अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम भगूराम पुत्र कालूराम दर्ज हैं, नाम में उक्त असमानता की वजह से पी.एम. किसान सम्मान निधि की किश्तें वर्ष 2022 से बन्द हैं। जिसको राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर पी.एम. सम्मान निधि प्रारंभ कराने की ऐवज में आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 31.08.2025 को 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर उसी समय वक्त सत्यापन 2000 रू. प्राप्त किये एंव शेष राशि 2000 रू. बाद में लिया जाना तय किया गया, जिसके क्रम में आरोपित पटवारी द्वारा दिनांक 17.09.2025 को परिवादी से पूर्व में तय सुदा उक्त रिश्वती राशि 2000 रू. की मांग कर प्राप्त करते हुए को कस्बा चौहटन में स्थित स्वयं के किराये के आवासीय मकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर रिश्वती राशि 2000 रू. आरोपित पटवारी के वक्त बाका पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड में जेब में से रूबरू मौतबिरान बरामद की गई। इत्यादि कृत्य से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री दिनेशकुमार पुत्र श्री पप्पूराम, जाति मीना, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मीना पट्टी बरखेड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा, हाल पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर,...........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्रकुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेशकुमार मीना पुत्र श्री पप्पूराम मीना, जाति मीना, उम्र 25 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम मीना पट्टी बरखेड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा, हाल पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत चन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 330 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1375–78 दिनांक 18.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. जिला कलक्टर, बाडमेर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT CHAND **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/10/2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)